

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी- पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 229/2015

जीसीएमएस नम्बर :- 2015/00193

1. रंगलाल पुत्र भोजाराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
2. ईश्वर पुत्र भोजाराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
3. लालचन्द पुत्र भोजाराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)  
..... वादीगण

- बनाम -

1. वेदप्रकाश
2. राजेन्द्र
3. विरेन्द्र पुत्रान श्री रामेश्वर जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
4. पार्वति पत्नी श्री रामेश्वर जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
5. हरिपाल
6. रविचन्द्र पुत्रान श्री गोर्धन जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
7. बहादुर सिंह पुत्र श्री हीराराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
8. गिन्दोड़ी पत्नी श्री नित्यानन्द नवीरा सुखराम
9. सत्यवीर
10. बुद्धराम
11. सत्यवीर
12. बुद्धराम
13. रोहताश
14. यादराम
15. अनगपाल पुत्रान प्रभाती जाति जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
16. लीलाधर
17. विजय सिंह पुत्र श्री इन्द्राज

हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

--: आदेश :-

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सहड़ का बास स्थित भूमि हाल ख0 न0 1073 रकबा 2.55 हैक्टर में से वादीगण को बहिस्सा बराबर 0.43 हैक्टर रकबा का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण के 0.43 हैक्टर रकबा का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा ख0 न0 1073 के शेष 2.12 हैक्टर रकबा की खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रहेगी। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "



५७  
(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

इस निर्णय आज दिनांक--5/12/2024--को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

५७

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी-

पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 229/2015

जीसीएमएस नम्बर :- 2015/00193

रंगलाल बनाम वेदप्रकाश आदि

दावा घोषणात्मक, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को श्री पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि -

“ न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सहड़ का बास स्थित भूमि हाल ख0 न0 1073 रकबा 2.55 हैक्टर में से वादीगण को बहिस्सा बराबर 0.43 हैक्टर रकबा का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण के 0.43 हैक्टर रकबा का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा ख0 न0 1073 के शेष 2.12 हैक्टर रकबा की खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रहेगी। विभाजन प्रस्ताव “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 5/12/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



41  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
उपखण्ड अधिकारी (राज.)  
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना